

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग  
कार्यालय आदेश

अधि०सं०:- 419047 /

पटना, दिनांक :- 01/04/2019

संचिका सं०-ग्रा०वि०-14(पटना)रोहतास- 01/2017

श्री सुनील कुमार, प्रसार पदाधिकारी-सह-तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिवसागर, रोहतास के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No. 20232/2010 अनुषा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 02.02.2012 को पारित न्यायादेश के अनुपालन का अनुश्रवण नहीं करने संबंधी आरोपों पर जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक- 578 दिनांक- 08.08.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई के उपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के मंतव्य के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री कुमार को 'चेतावनी' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

अधिरोपित दंड की प्रविष्टि इनके सेवा पुस्त में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(राधा किशोर झा)  
संयुक्त सचिव

जापांक:- 419047 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 01/04/2019

**चपरासी**  
**बही/निबंधित/** सासाराम / उप विकास आयुक्त, रोहतास, सासाराम / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, 06 / श्री सुनील  
**ईमेल/हाथोंहाथ** कुमार, प्रसार पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरौनी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

जापांक:- 419047 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 01/04/2019

**प्रतिलिपि:-** आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव